Order Sheet [Contd] Case No 268/2017 बी.ए

| | Case No 268 / 2017 41.\ | |
|--|--|--|
| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| Service of the servic | पुनश्चयः—25.07.2017 न्यायाल्य श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत के प्रवर्तन लिफिक ने व्यक्त किया कि पीठासीन अधिकारी दोपहर पश्चात् से अवकाश पर है। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से मामला मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदिका श्रीमती गुड़डीबाई द्वारा श्री यू.एस. तोमर अधिवक्ता उपस्थित। राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। सत्र प्रकरण कमांक 318/2016 शा0पु0गोहद वि० गजेन्द्र आदि का मूल अमिलेख निकलवाया गया जिसमें आगामी दिनांक 2, 3—08—17 नियत है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री ए०के०गुप्ता) के मूल आपराधिक प्रकरण कमांक 572/16 ई.फी. (पूरक अमियोगपत्र) का मूल अभिलेख भी प्राप्त। आवेदिका श्रीमती गुड़डीबाई के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं के अंतर्गत प्रथम जमानत आवेदनपत्र है। चूंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में पूरक अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.आर.सी. कमांक 1355/2017 में पारित जमानत आवेदनिक वर्तमान तक अग्रिम जमानत पर है। उसी आवेश के पालन में पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और आज ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे अभिरक्षा में लिया गया है। ऐसी स्थिति में यह उसका प्रथम जमानत आवेदनपत्र पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। आवेदिका की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसका अग्रिम जमानत आवेदनपत्र पर राम प्रमानत को प्रार्थना की गई है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त कियो जाने पर वल दिया है। | AT POLICY OF THE PROPERTY OF T |

उभयपक्ष को सुने जाने पर तथा दोनों न्यायालयों के प्रकरणों के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार पूनम का विवाह दिनांक 02.03.2014 को अभियुक्त गजेन्द्रसिंह उर्फ पुच्चा के साथ हुआ था। विवाह के एक साल पश्चात् से पूनम के ससुराल वाले पति गजेन्द्र, संसुर सुदामा, चिचया ससुर तिलकसिंह एवं सास आवेदिका गुड्डीबाई उसे परेशान करते थे तथा खाना, कपडे भी समय पर नहीं देते थे और कहते थे कि उसके भाईयों ने शादी में दहेज कम दिया है, दहेज में मोटरसाइकिल व पचास हजार रूपए की मांग करते थे और इसी प्रताडना के चलते दिनांक 12.02.2016 को दिन में असामान्य परिस्थितियों में फॉसी से पूनम की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पुलिस थाना गोहद को दी गई, जिसके आधार पर मर्ग की कायमी की गई। मर्ग जॉच में आवेदिका तथा अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पाए जाने से अपराध कमांक 67 / 16 अंतर्गत धरा 304बी, 498ए भा.द.वि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में सहअभियुक्तगण गजेन्द्र, सुदामा उर्फ सुदाराम एवं तिलकसिंह के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया तथा श्रीमती गुड्डीबाई को फरार दर्शाया गया। उक्त तीनों ही अभियुक्तगण का विचारण उक्त सत्र प्रकरण कमांक 318 / 16 में चल रहा है। फरार आवेदिका श्रीमती गुड्डीबाई के संबंध में आज न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष पूरक अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। गुड्डीबाई के संबंध में गिरफ्तारी के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त विवेचना नहीं है।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गोहद के उक्त आपराधिक प्रकरण के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें गुड़डीबाई के अग्रिम जमानत आदेश दिनांक 27.06.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की गई है, जिसके अनुसार आवेदिका को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश किया गया है जो कि 60 दिवस की अवधि के लिए था। सहअभियुक्त गजेन्द्रसिंह की नियमित जमानत का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.12. 2016 को किया गया है। आरोपी तिलकसिंह एवं सुदामा की अग्रिम जमानत का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कमशः दिनांक 26.04.16 एवं 12.05. 2016 को किया गया है। आरोपी तिलकसिंह एवं सुदामा की जमानत का आदेश अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं का इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2016 को किया गया है। आवेदिका श्रीमती गुड़डीबाई का मामला भी उनके समान ही है।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गुड्डी बाई को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाने का आदेश दिया गया है और अतिरिक्त अनुसंधान में आए हुए तथ्यों को विचार में लेने के लिए उल्लेख है, परंतु गुड्डीबाई के संबंध में कोई अतिरिक्त अनुसंधान नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अग्रिम जमानत की मंशा को देखते हुए तथा मामले के समान तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका श्रीमती गुड्डीबाई को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उसकी नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत

धारा ४३९ दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है।

यदि आवेदिका श्रीमती गुड्डीबाई की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद की संतुष्टि योग्य 40,000/ — रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्ती पर जमानत पर रिहा किया जावे:– 🌉

- आवेदिका विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित 1. होती रहेगी। 🧝 🛰
- अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगी।
- फरार नहीं होगी। 3.
- विचारण में सहयोग करेगी।
- विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

केसडायरी वापस हो।

आदेश की सत्यप्रतिलिपि सत्र प्रकरण क्रमांक 318/16 में संलग्न की जावे तथा आदेश की प्रति सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के उक्त ALINATA PAROLO SUNTA PAROLO SUN आपराधिक प्र०क० का मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु बापस किया जावे।

प्रकरण का नतीजा कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।